उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-77/2018/3717/92-1-2018-38(अधि0)/2017टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री वी0के0 सिंह गौर, अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड/पी0आई0यू0 फैजाबाद को प्रशासनिक आधार पर कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में एतदद्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

श्री गौर को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी सम्बद्धता के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

2- श्री गौर के कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में सम्बद्धता से रिक्त हुए प्रखण्ड/पी0आई0यू0-फैजाबाद में अधिशासी अभियन्ता का कार्य अपने कार्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से देखे जाने हेतु श्री सुधीर प्रकाश गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड-बाराबंकी को शासन के अग्रिम आदेशों तक अधिकृत किया जाता है।

3- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अस्थायी प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-77/2018/3717(1)/92-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
7- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
9- कम्प्यूटर अंकन प्रति/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

¼अवध नारायण½
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in